राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ. 9/डीडीएमएए/कोविड–19/2020/230 दिनांक: 15.06.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय– समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए ।

और जबकि, दिल्ली में अन्य महत्वपूर्ण विभागों जैसे पुलिस और नगर निगमों के पास जिला क्षेत्र हैं जो दिल्ली में राजस्व जिलों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं।

अब, इसलिए, 14 जून 2020 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य कार्यकारिणी समिति, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अद्योहस्ताक्षरी एतद् द्वारा निर्देश देते हैं कि जिले के जिला मजिस्ट्रेट / आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष , आपदा प्रबन्धन / कोविड –19 से जुड़ी सभी गतिविधियों के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे।

इसके अलावा, जिले में एकीकृत कमान और नियंत्रण होगा और इसलिए दिल्ली पुलिस के सभी डीसीपी, नगर निगमों के उपायुक्त, अन्य विभागों के सभी जिला प्रमुखो और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों इत्यादि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे और कोविड –19 महामारी के प्रबंधन के लिए उनकी कमान, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्य करेंगे। दिल्ली पुलिस के उपायुक्तों और दिल्ली नगर निगम के उपायुक्तों सहित सभी स्तर के अधिकारियों के कार्यनिष्पादन का आकलन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और तद्नुसार उनके रिपोर्टिंग प्राधिकारियों को सूचित किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, के प्रमुख के रूप में कोविड–19 महामारी के सम्पूर्ण प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है और दिल्ली आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण , गृह मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समस्त दिशा निर्देशों /मानक संचालन प्रक्रियाओं /आदेशों /निर्देशों का अनुपालन करेंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभाग/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/स्थानीय निकाय/दिल्ली पुलिस इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली.

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
4. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. प्रधान सचिव (राजस्व)/मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. आयुक्त (दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/पूर्वी दिल्ली नगर निगम/उत्तरी दिल्ली नगर निगम)।
7. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
8. समस्त उपायुक्त/डीएम, दिल्ली।
9. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. राज्य कार्यकारिणी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के समस्त सदस्य।
11 निदेशक (आई एंड पी) व्यापक प्रचार हेतु।
12. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।